प्रेस विज्ञप्ति
08/04/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने ग्राम समाज की ग्राम बंशीवाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में धोखाधड़ी से भूमि अधिग्रहण के संबंध में विजय खन्ना और बलविंदर जीत स्याल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज की है।

ईडी ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी व्यक्तियों विजय खन्ना ने सतीश कुमार, हीरा लाल और छत्रो देवी (मृतक) तथा बलविंदर जीत स्याल के साथ मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड गढ़कर और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत द्वारा कथित रूप से जारी किए गए जाली आदेशों के माध्यम से लगभग 25 बीघा ग्राम समाज की जमीन को धोखाधड़ी से हासिल करने की साजिश रची।

जांच में यह स्थापित हुआ कि आरोपी ने भारित भूमि को कानूनी रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में पेश किया और विजय खन्ना (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) के माध्यम से गुरुचरण सिंह के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किए, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में भूमि ग्राम समाज के नाम पर बनी रही। जांच में यह स्थापित हुआ कि विजय खन्ना ने भूमि के अधिग्रहण से संबंधित भुगतान और धन शोधन गतिविधियों के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग किया। उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला कि धोखाधड़ी वाले भूमि सौदों का संबंध विजय खन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की एक बड़ी योजना से था।

ईडी ने पहले अपराध को आगमों को दर्शाने वाली लगभग 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया था। माननीय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पीएमएलए के तहत कुर्की की पुष्टि की गई है और कब्जा भी ले लिया गया है।

इसके अलावा, 30.03.2022 को तीन आरोपियों सतीश कुमार, हीरा लाल और छत्रो देवी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी, जिन्होंने विजय खन्ना के साथ मिलीभगत करके जाली रिकॉर्ड के आधार पर भूमि के स्वामित्व का दावा किया था। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा धन शोधन अपराध का संज्ञान भी लिया गया है। वर्तमान पूरक अभियोजन शिकायत आगे की जांच के अनुसरण में, अतिरिक्त साक्ष्य और नए जोड़े गए आरोपियों की संलिप्तता को रिकॉर्ड में लाने के लिए दायर की गई है।

आगे की जांच जारी है।